[2013] 6 एस. सी. आर. 339

सफी मोहम्मद

बनाम

राजस्थान राज्य

(आपराधिक अपील सं. 1954/2009)

अप्रैल 17,2013

[चंद्रमौली के. आर. प्रसाद और वी. गोपाल गौड़ा, जे. जे.]

सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 - एस. 3 (1) (सी)-गुप्त की आपूर्ति

खुफिया जानकारी-एक नीले रंग की डायरी और एक ट्रेस मैप जब्त किया गया अभियुक्त-अपीलार्थी के घर की तलाशी पर-जब्त किए गए दस्तावेज़ भारत की अखंडता और सुरक्षा को प्रभावित कर सकते है-सात साल के आर. आई. के साथ अपीलार्थी की सजा-औचित्य-आयोजितः न्यायोचित-आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामले बहुत हैं संवेदनशील जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है-तथ्यों पर, न तो स्वतंत्र की उपस्थिति में खोज की गई न ही गवाहों और न ही जाँचकर्ता द्वारा की गई जाँच स्वतंत्र गवाह मुकर गए, इस कारण पुलिस गवाहों के साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता-ट्रायल जज। पुलिस के साक्ष्य को स्वीकार करके सही निष्कर्ष पर पहुंचे।अभियोजन पक्ष के साक्ष्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्र के लिए रणनीतिक महत्व के

दस्तावेज थे अपीलार्थी और अन्य के कब्जे से बरामद अभियुक्त और वे अपने पास मौजूद दस्तावेजों के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलार्थी पाकिस्तानी खुफिया को भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित गुप्त जानकारी प्रदान करें। उसके घर पर खोजा गया, वर्ष 1982 की एक नीले रंग की डायरी और एक ट्रेस मैप एक्स. डी.-3 कथित तौर पर बरामद किया गया था। सभी 5 अभियुक्त व्यक्ति थे। दस्तावेज़ अभियुक्तों से बरामद किए गए सामान को उनकी राय के लिए वायु सेना के अधिकारियों को भेजा गया, जिन्होंने सूचित किया कि उक्त दस्तावेज़ दुश्मन देश के लिए उपयोगी थे और भारत की सुरक्षा को प्रभावित करते थे। अपीलार्थी को सत्र न्यायाधीश ने सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3 (1) (सी) के तहत दोषी ठहराया था और सात साल की सजा सुनाई थी। कठोर कारावास। दोषसिद्धि की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी, और इसलिए वर्तमान अपील।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

अभिनिर्धारित किया गयाः 1.1 . पीडब्लू 22 और पीडब्लू-24 के साक्ष्य का उल्लेख करने के बाद अपीलार्थी के घर की तलाशी ली गई और डायरी के साथ कुछ दस्तावेजों को जब्त करना। विशेष रूप से पूर्व डी-3, कुछ चिह्नों के साथ तैयार किया गया हस्तलिखित मानचित्र, अभियोजन

पक्ष के मामले को साबित करता है। नहीं। संदेह है कि स्वतंत्र गवाह मुकर गए हैं, लेकिन सत्र न्यायाधीश ने सही स्वीकार किया है उचित के बाद पुलिस गवाहों की गवाही अपीलार्थी के घर से दस्तावेजों की जब्ती को साबित करने के लिए उनके साक्ष्य का मूल्यांकन। [पैरा 20] [355 - एच; 356-ए-सी]

1.2 . सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत मामले हैं -बहुत संवेदनशील जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी। द. घर से सेना के दस्तावेजों की तलाशी और जब्ती अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी के खिलाफ कथित अपराधों के लिए अपीलार्थी के बहुत यह संवेदनशील है और देश की अखंडता और सुरक्षा से संबंधित है। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, न तो खोज स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में की गई जांच और न ही जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच अपीलार्थी के घर में तलाशी लेने के लिए तलाशी वारंट के अभाव में दोषपूर्ण हो जाती है। [पैरा 21] [356 डी, ई-जी]

1.3 . दस्तावेजों की तलाशी और जब्ती के संबंध में नीचे दी गई दोनों अदालतों द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष जो देश की अखंडता और सुरक्षा को प्रभावित करता है उच्च न्यायाालय द्वारा सही ढंग से दर्ज तथ्य की समवर्ती खोज उचित मूल्यांकन और मूल्यांकन के बाद न्यायालय अभिलेख पर साक्ष्य। उसी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है इस न्यायालय द्वारा अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए। भले ही जाँच अधिकारी द्वारा

अवैध तरीके से तलाशी ली जाती है, वही इसकी वैधता को प्रभावित नहीं करता है। जाँचकर्ता द्वारा की गई खोज और जाँच अपीलार्थी के घर से दस्तावेजों की जब्ती के संबंध में अधिकारी। हाथ में मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से, यह स्पष्ट है कि राष्ट्र के लिए रणनीतिक महत्व के दस्तावेज़ हैं अपीलार्थी के कब्जे से बरामद किया गया और अन्य अभियुक्त और वे संतोषजनक देने में विफल रहे हैं उनके दस्तावेजों में होने के बारे में स्पष्टीकरण

1.4 . डी-3 अपीलार्थी के घर से अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया तथ्य का निष्कर्ष है जो उच्च न्यायालय द्वारा वसूली ज्ञापन एक्स. पी.-28 के आधार पर स्वीकार किया जाता है। ज्ञापन को साबित करने के लिए स्वतंत्र गवाह है पीडब्लू-2, इसके अलावा, उक्त गवाह के साक्ष्य, पीडब्लू-5 जिन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि पूर्व। डी-3 अपीलार्थी की तिमाही से बरामद किया गया था। परिहार रेलवे स्टेशन के पीडब्लू-7 ए. एस. एम. ने कहा कि अपीलार्थी था एक रेलवे क्वार्टर आवंटित किया और वह इस घर में चला गया था 1989 में अपने परिवार के साथ। उक्त तिमाही में जांच अधिकारी द्वारा तलाशी ली गई और कुछ पूर्व डी-3 सहित दस्तावेज जब्त किए गए। अपीलार्थी का अधिकार अभिलिखित तथ्य का निष्कर्ष है विचारण न्यायाधीश द्वारा जो अपीलार्थी द्वारा दायर अपील में अभिलेख पर साक्ष्य के पुनः मूल्यांकन के बाद उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से सहमत है। [पारस 23,24] [357-एच; 358 - ई-एफ]

1.5 . सत्र न्यायाधीश विचारण न्यायाधीश होने के नाते है साक्ष्य की सराहना करने के लिए सक्षम और था अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए उनके सामने गवाही देने वाले गवाहों के आचरण का निरीक्षण करने का अवसर। सिर्फ इसलिए कि स्वतंत्र गवाह पलट गए हैं शत्रुतापूर्ण, अन्य पुलिस गवाहों के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जासकता है। ट्रायल जज दाईं ओर आ गया है तलाशी के संचालन के संबंध में पुलिस गवाहों पीडब्लू-21, पीडब्लू-22 के साक्ष्य को स्वीकार करके निष्कर्ष निकालना। और अपीलार्थी के घर से दस्तावेजों की जब्ती और वैध निर्दिष्ट करके इस आशय के निष्कर्ष को दर्ज करना। और उसके निर्णय में ठोस कारण। वह सही आया है। निष्कर्ष को अभिलिखित करते समय तथ्य पर निष्कर्ष तक उसमें निहित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है पाकिस्तानी अधिकारी यह अखंडता के लिए खतरनाक होगा और राष्ट्र की सुरक्षा। [पैरा 26] [359-बी-ई]

1.6 . अपीलार्थी द्वारा आग्रह की गई दलीलें कि पीडब्लू 27 और पीडब्लू-32 साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के संदर्भ में विशेषज्ञ गवाह नहीं हैं, गलत हैं। अपीलार्थी के खिलाफ बनाए गए आरोप पर सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष और कारणों की उच्च न्यायालय द्वारा सचेत रूप से अपने दिमाग को लागू करके और वैध कारण बताते हुए तथ्य के उक्त निष्कर्ष से सहमति जताते हुए फिर से जांच की गई है। इसलिए, इसे

कानून में गलत नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 27] [359-एफ, जी-एच; 360-ए]

समा अलाना अब्दुल्ला बनाम गुजरात राज्य **ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 569: 1995 (5) पूरक। एस. सी. आर. 279-पर निर्भर।**

प्रताप सिंह बनाम एम. पी. राज्य **2005 (13) एस. सी. सी. 624: 2005 (5) पूरक। एस. सी. आर. 439;** *मुख्तियार अहमद बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)* **2005 (5) एस. सी. सी. 258: 2005 (3) एससीआर 797;** *राजा राम बनाम राजस्थान राज्य* **(2005) 5 एससीसी 272;** *हिमाचल राज्य प्रदेश बनाम जय लाल और अन्य।* **(1999) 7 एससीसी 280: 1999 (2) पूरक। एस. सी. आर. 318;** *रमेश चंद्र अग्रवाल बनाम रीजेंसी हाॅस्पिटल लिमिटेड* **(2009) 9 एससीसी 709: 2009 (14) SCR 424;** *पदम बनाम यू.पी. सरकार* **2000(1) SCC 621: 1999 (5) पूरक। SCR 59 व** *प्रसाद उर्फ हरि प्रसाद आचार्य बनाम कर्नाटक सरकार* **2009 (3) एससीसी 174: 2009 (1) एससीआर 1089- संदर्भित को।**

मामला कानून संदर्भः

2005 (5) पूरक। एससीआर 439 संदर्भित किया गया है पैरा 4

2005 (3) एससीआर 797 संदर्भित किया गया है पैरा 6

(2005) 5 एससीसी 272	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 6**
1999 (2) पूरक एससीआर 318	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 13**
2009 (14) एससीआर 424	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 13**
1999 (5) पूरक। एससीआर 59	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 14**
2009 (1) एससीआर 1089	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 14**
1995 (5) पूरक एससीआर 279	**उस पर भरोसा करें**	**पैरा 22**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः क्रिमिनल अपील सं. 1954/2009

के 29.05.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय एस. बी. आपराधिक अपील सं. 314 2004 से।

सुशील कुमार जैन, एच. डी. थानवी, ऋषि मटोलिया, सारद अपीलार्थी की ओर से कुमार सिंघानिया।

प्रतिवादी की ओर से शोवन मिश्रा, मिलिंद कुमार।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. गोपाल गौड़ा, जे. 1. यह अपील अपीलकर्ता द्वारा सत्र न्यायाधीश के 9 मार्च, 2004 के फैसले की पुष्टि में एसबी आपराधिक अपील संख्या 314/2004 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित 29 मई, 2009 के फैसले की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए दायर की गई है। जयपुर

शहर, जयपुर सत्र प्रकरण संख्या 196/1992 में जिसमें इस अपीलकर्ता को अन्य लोगों के साथ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 3(1)(सी) के तहत दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी। सात वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा।

2. इस अपील में आग्रह की गई प्रतिद्वंद्वी कानूनी दलीलों पर विचार करने के उद्देश्य से और यह पता लगाने के लिए कि क्या इस न्यायालय को उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, आवश्यक तथ्य यहां संक्षेप में बताए गए हैं:

6 मार्च, 1990 को भूरमल जैन, पुलिस अधीक्षक सीआईडी जोन, जोधपुर ने विशेष पुलिस स्टेशन राजस्थान , जयपुर में अधिनियम की धारा 3, 3/9 के साथ पठित धारा 120-बी आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की। आरोपी मो. के खिलाफ एफआईआर नंबर 1/1990 . इश्फाक को वायु सेना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए पाया गया और 07.03.1990 को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि अपीलकर्ता सफी मो . पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को गुप्त सूचनाएं मुहैया कराता था और पाक इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करने के लिए उसने उसे 6500 रुपये दिए थे। 08.03.1990 को, अपीलकर्ता को सीआईडी पुलिस द्वारा उसके रेलवे क्वार्टर से गिरफ्तार किया गया था और उसके घर की तलाशी लेने पर, वर्ष 1982 की एक नीले रंग

की डायरी और एक ट्रेस मैप Ex.D-3 बरामद होने का आरोप लगाया गया था। बाद में, आरोपी नंबर 1 द्वारा और खुलासा करने पर, आरोपी नंबर 3 - छोटू खान और आरोपी नंबर 4 - चांद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। 12.04.1990 को दूसरे अभियुक्त मो . आरोपी नंबर 5 सफी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास से बरामद दस्तावेजों को वायुसेना अधिकारियों के पास उनकी राय के लिए भेजा गया, जिन्होंने बताया कि उक्त दस्तावेज दुश्मन देश के लिए उपयोगी हैं और भारत की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। मामले की जांच पूरी होने के बाद जांच अधिकारी द्वारा कमिशन कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया था।

3. 26.07.1994 को, 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए लेकिन सभी ने खुद को दोषी नहीं ठहराया। अपीलकर्ता पर अधिनियम की धारा 9 और 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत आरोप लगाया गया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद दिनांक 09.03.2004 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 3 (1) (सी) के तहत दोषी ठहराया।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री सुशील कुमार जैन का कहना है कि अपीलकर्ता के घर से Ex.D-3 की बरामदगी के आधार पर अपीलकर्ता की सजा संदिग्ध है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि यह सजा कर्नल एसके सरीन (पीडब्लू-27) और विंग कमांडर आलोक कुमार (पीडब्लू-32) की विशेषज्ञों की राय के आधार पर दस्तावेजों पर आधारित है।

क्रमशः पी-33 और पी-34 अभियोजन के पक्ष में नहीं है। इसलिए, अपीलकर्ता को उनके साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराए जाने से समवर्ती निष्कर्ष कानून में गलत हो गया। अतः यह रद्द किये जाने योग्य है। इसके अलावा, उनका तर्क है कि ट्रेस मैप एक्स.डी-3 की बरामदगी या कब्जे के आधार पर अपीलकर्ता की सजा, जो अधिनियम की धारा 3 (1) (सी) के तहत एक कच्चा स्केच मैप है, कानून में मान्य नहीं है। जहां तक अपीलकर्ता के क्वार्टर से दस्तावेज़ Ex.D-3 की वसूली का सवाल है, अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उक्त दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति ज्ञापन के अनुसार है। कहा जाता है कि एक्स.पी-22 को सुरेश कुमार (पीडब्लू-22) द्वारा बरामद किया गया था, जिसे दो गवाहों भूप सिंह और उम्मेद सिंह ने प्रमाणित किया है। भूप सिंह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है और मामले में दूसरे गवाह उम्मेद सिंह से पूछताछ नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह भूप सिंह से जिरह के दौरान उदाहरण पी-22 नहीं रखा गया। अभियोजन पक्ष ने उक्त दस्तावेज़ पर केवल जांच अधिकारी याद राम तिवारी पीडब्लू-24 और सुरेश कुमार पीडब्लू-22 के साक्ष्य के बयान पर भरोसा किया है। उनका कहना है कि मामले में उम्मेद सिंह से पूछताछ न करने के कारण, अपीलकर्ता के घर से दस्तावेजों की बरामदगी के लिए ज्ञापन को प्रमाणित करने वाले गवाह, विद्वान सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों को प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना चाहिए था। अभियोजन पक्ष के खिलाफ यह कहते हुए कि रिकवरी मेमो के अनुसार Ex.D-3 की तलाशी और जब्ती अपीलकर्ता के घर से नहीं थी।

उपरोक्त कथन के समर्थन में विद्वान वकील ने प्रताप सिंह बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। मप्र राज्य [(1)]। उक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि जांच अधिकारी द्वारा उन गवाहों की जांच नहीं की गई जो अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण हैं, जो स्वतंत्र गवाह हैं और जिनके बयान दर्ज नहीं किए गए हैं, हालांकि यह जांच का कर्तव्य है। अधिकारी को अदालत में आरोप पत्र के साथ ऐसे बयान पेश करने होंगे, यदि अभियोजन द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, तो संदेह का लाभ बचाव पक्ष को दिया जाना चाहिए, न कि अभियोजन पक्ष को।

5. इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त संदर्भित मामले में इस न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में जब्ती गवाहों की गैर-परीक्षा के लिए प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकालने में गंभीर त्रुटि की है।

6. अपीलकर्ता के लिए आगे विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के घर से Ex.D-3 की बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष का मामला ओम प्रकाश राठी (पीडब्लू- 2) के साक्ष्य से गलत साबित हुआ है, जिसकी जांच एकमात्र गवाह है। राठी गेस्ट हाउस की तलाशी के संबंध में जहां से मो . सफ़ी को दस्तावेज़ों के साथ गिरफ़्तार किया गया। यह तथ्य राठी गेस्ट हाउस के मालिक पीडब्लू-2 की जिरह से स्थापित हुआ है, जिसने अपने बयान में स्वीकार किया है कि "उक्त आरोपी के पास से अन्य

कागजात के साथ मानचित्र एक्स.डी-3 भी बरामद किया गया था।" अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने मुख्तियार अहमद बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है। राज्य (एनसीटी दिल्ली) [(2)] कि यदि अभियोजन पक्ष ने अपने गवाह की जांच की है और उसे शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया है क्योंकि उसने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया था, लेकिन दूसरी ओर उसने बचाव का समर्थन किया था यह ऐसे साक्ष्यों पर भरोसा कर सकता है। इसके अलावा, विद्वान वकील ने राजा राम बनाम के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य फैसले पर भरोसा जताया। राजस्थान राज्य [(3)] अपीलकर्ता के मामले के समर्थन में कि अभियोजन पक्ष के गवाह की एकमात्र गवाही से मृतक को विश्वास हो गया कि जब तक वह अपीलकर्ता और उसके माता-पिता पर दोष नहीं डालती, तब तक उसे ऐसा करना होगा । अभियोजन कार्यवाही जैसे परिणामों का सामना करें। ट्रायल कोर्ट में सरकारी वकील को ज्ञात कारणों से पीडब्लू-8 को शत्रुतापूर्ण गवाह घोषित करने के लिए अदालत से अनुमति मांगने का विचार नहीं आया। अब, जैसा कि है, पीडब्लू-8 का साक्ष्य अभियोजन पर बाध्यकारी है।

7. विद्वान वकील का यह भी कहना है कि उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ मामले की तथ्यात्मक स्थिति पर भी लागू होती हैं, जिसमें पीडब्लू-2 के साक्ष्य, जो पूर्व गवाह को प्रमाणित कर रहा है। पी-22 रिकवरी मेमो में उल्लेख है कि पूर्व. डी-3 राठी गेस्ट हाउस

से बरामद हुआ था. इसलिए, उनका तर्क है कि अपीलकर्ता के घर से वह सामान बरामद नहीं हुआ है जैसा कि आरोप लगाया गया है। इसके अलावा, विद्वान वकील का कहना है कि यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि बचाव पक्ष को अपना मामला स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि न्यायालय के विचार के लिए मामले की संभावनाओं की प्रबलता स्थापित करना आवश्यक है। इस मामले में अपीलकर्ता का बचाव यह था कि राठी गेस्ट हाउस से Ex.D-3 बरामद होने की संभावना है। इसके अलावा पीडब्लू-22 और पीडब्लू-24 के बयानों के अनुसार, पुलिस गवाह इच्छुक गवाह हैं जो छापे की सफलता दिखाने और अभियोजन मामले का समर्थन करने में रुचि रखते हैं और इसलिए निचली अदालतों को अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए उनकी गवाही पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। .

8. पीडब्लू-22 रिकवरी मेमो एक्स.पी-22 के अनुसार ट्रेस मैप एक्स.डी-3 की रिकवरी का गवाह नहीं है। इस तथ्य को उन्होंने अपनी जिरह में स्वीकार किया है और साथ ही, वह Ex.P-22 के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं। दस्तावेज़ का सचेत कब्ज़ा या ज्ञान। इस अपीलकर्ता द्वारा डी-3 अपीलकर्ता की डायरी में पाया जाता है, अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित यह तथ्य स्थापित नहीं है और अभियोजन ने यह भी स्थापित नहीं किया है कि डायरी अपीलकर्ता की थी। दस्तावेज़ किसी अज्ञात कारण से अपीलकर्ता के घर आ सकता है और जब तक कि दस्तावेज़ के कब्जे के संबंध में

अपीलकर्ता को विशेष जानकारी न हो। डी-3 साबित हो गया है, अपीलकर्ता के घर से इसकी बरामदगी को निचली अदालतों द्वारा यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए कि अपीलकर्ता ने जानबूझकर इसे अपने पास रखा था।

9. अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुति का एक अन्य आधार गवाहों पीडब्लू-27 और पीडब्लू-32 की विशेषज्ञों की राय है, जिन्होंने एक्स.पी.-34 और एक्स.पी.-35 के अनुसार अपनी राय दी है। वह दस्तावेज़ उदा. डी-3 महज एक स्केच है जिससे दुश्मन देश को कोई मदद नहीं मिल सकती क्योंकि इसमें कुछ भी दर्शाया नहीं गया है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि अभियोजन यह स्थापित करने में विफल रहा है कि स्केच मानचित्र में दर्शाई गई कोई भी साइट या सड़क अस्तित्व में है।

10. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने विशेषज्ञों की राय Ex.P-34 और Ex.P-35 पर गहरा भरोसा जताया है, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

उदाहरण.पी-34:

"ब्लाइंड के स्थान को दर्शाने वाले क्षेत्र का कच्चा स्केच: यह क्षेत्र वायु सेना रेंज का हिस्सा नहीं है। यह आर्मी रेंज का हिस्सा है और स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्यालय पोखरण।"

उदाहरण पी-35:

"काउंटर इंटेलिजेंस के नजरिए से इसका कोई महत्व नहीं है।"

PW-27 द्वारा Ex.P-35 में व्यक्त की गई राय इस तथ्य को स्थापित करती है कि Ex.D-3 का सेना के दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है।

11. इसके अलावा, पूर्व पर उनकी राय. P-4 और Ex.P-5 इस प्रकार पढ़ते हैं:

> "उदाहरण के लिए Ex.P-4 और Ex.P-5 हवाई जहाजों के लिए पार्किंग स्थल, हैंगर, वायु यातायात नियंत्रण, यदि पाकिस्तान समाप्त करना चाहता है तो इस आधार पर रडार आदि को सूचित करें उन्हें हवाई हमले से रोका जाए तो उसके लिए यह आसान हो जाएगा, जमीनी हमले में उसे सीधे जीत मिल जाएगी। इस प्रकार, Ex.P-32 में संदर्भित पर्वतीय प्रभाग का चार्ट, इससे दुश्मन को ब्रिगेड की संख्या, वाहन और हथियारों की संख्या और हथियारों की गुणवत्ता और उनकी संख्या की स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। इस आधार पर भारत के हमला करने की स्थिति में उन्हें बचाव में मदद मिलेगी और अगर वे हमला करना चाहते हैं तो तैयारी में भी उन्हें बड़ी मदद मिलेगी.'

12. विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चूंकि गवाह पीडब्लू-27 और पीडब्लू-32 में से कोई भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अर्थ में एक्स.डी-3 स्केच मैप पर अपनी विशेषज्ञ राय देने के लिए विशेषज्ञ गवाह नहीं है, अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए उनकी राय या सबूत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि उनकी राय कथित विशेषज्ञता के क्षेत्र से बाहर होने के कारण इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए, अदालत द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। जब्त किए गए दस्तावेज़ Ex-D3 पर विशेषज्ञ की राय देने के लिए PW-27 को सक्षम व्यक्ति नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया है कि दोनों गवाह कभी भी उस क्षेत्र में तैनात या काम नहीं किए थे। इसलिए, उन्हें न तो क्षेत्र की जानकारी थी और न ही उन्होंने उस क्षेत्र का दौरा किया, जैसा कि रिकॉर्ड पर उनके साक्ष्य के बयान से स्पष्ट है।

इस संबंध में, उन्होंने पीडब्लू-27 की जिरह में प्राप्त साक्ष्यों पर भरोसा किया है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार किया है। तो PW-32 ने भी Ex.P-4 और Ex.P-5 के संदर्भ में ऊपर बताया है। इसलिए मामले में उक्त गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य के बयान पर ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा यह निष्कर्ष दर्ज करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था कि अपीलकर्ता धारा 3 (1) (सी) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है। अधिनियम का और उसे दोषी ठहराने और सजा देने का।

13. विद्वान वकील ने हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा जताया है। जय लाल और अन्य [(4)] और रमेश चंद्र अग्रवाल बनाम में इस अदालत का एक और फैसला। रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड [(5)] कानूनी तर्क के समर्थन में कि उपरोक्त गवाह हैं। पीडब्लू-27 और पीडब्लू-32 एक्स.-डी3 पर अपनी विशेषज्ञ राय देने के लिए विशेषज्ञ गवाह नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम के फैसले के प्रासंगिक पैराग्राफ। जय लाल और अन्य।' केस (सुप्रा) यहां से निकाले गए हैं:

> "13. एक विशेषज्ञ गवाह वह होता है जिसने जिस विषय पर वह बोलता है उसे विशेष अध्ययन, अभ्यास या अवलोकन का विषय बना लिया है; और उसे विषय का विशेष ज्ञान होना चाहिए। श्री पी.सी.पंवार ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उन्होंने बी.एस.सी. उत्तीर्ण की है। (कृषि) 1959 में दिल्ली विश्वविद्यालय से ऑनर्स; इसके बाद उन्होंने एम.एससी. किया। (बागवानी) 1967 में पंजाब विश्वविद्यालय से। वह वर्ष 1969 में एक अनुसंधान सहायक के रूप में कृषि विभाग में शामिल हुए; वर्ष 1973 में उन्हें बागवानी विकास अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया और मूल्यांकन के समय वह जिला बागवानी अधिकारी, शिमला के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने यह भी कहा है कि वर्ष 1986 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया

के तस्मानिया विश्वविद्यालय में सेब प्रौद्योगिकी पर 3 महीने के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया था। प्रश्नगत बागों का मूल्यांकन नवंबर 1984 में अलग-अलग तारीखों पर किया गया था। उन्होंने इस सुझाव को काफी हद तक स्वीकार कर लिया है कि उन्हें सेब की फसल के मूल्यांकन के संबंध में कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है, लेकिन यह उनके काम का हिस्सा रहा है। गवाह यह नहीं बता सका कि कितने स्कैब मामलों में उसे मूल्यांकन करने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने जय लाल और अन्य के खिलाफ मामले में विशेष रूप से कहा है कि सेब के बगीचे की उत्पादकता का आकलन करने के लिए आयोग के रूप में वह उनका अब तक का पहला और आखिरी काम था।

.....

17. साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 जो विशेषज्ञों की राय को स्वीकार्य बनाती है, कहती है कि जब अदालत को विदेशी कानून, या विज्ञान, या कला, या लिखावट या उंगलियों के निशान की पहचान के मुद्दे पर एक राय बनानी होती है, ऐसे विदेशी कानून, विज्ञान या कला में विशेष रूप से कुशल व्यक्तियों की राय, या लिखावट की पहचान, या उंगलियों के निशान के प्रश्नों पर प्रासंगिक तथ्य हैं। इसलिए,

किसी गवाह के साक्ष्य को एक विशेषज्ञ के रूप में लाने के लिए यह दिखाना होगा कि उसने विषय का विशेष अध्ययन किया है या उसमें विशेष अनुभव प्राप्त किया है या दूसरे शब्दों में कहें तो वह कुशल है और उसके पास पर्याप्त ज्ञान है। विषय।

18. एक विशेषज्ञ तथ्य का गवाह नहीं है. उनका साक्ष्य वास्तव में एक सलाहकारी चरित्र का है। एक विशेषज्ञ गवाह का कर्तव्य न्यायाधीश को निष्कर्षों की सटीकता का परीक्षण करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक मानदंड प्रदान करना है ताकि न्यायाधीश मामले के साक्ष्य द्वारा सिद्ध तथ्यों पर इस मानदंड को लागू करके अपना स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हो सके। . वैज्ञानिक राय के सबूत, अगर समझने योग्य, ठोस और परीक्षण किए गए हों तो मामले के अन्य सबूतों के साथ-साथ विचार के लिए एक कारक और अक्सर एक महत्वपूर्ण कारक बन जाते हैं। ऐसे गवाह की विश्वसनीयता उसके निष्कर्षों के समर्थन में बताए गए कारणों और प्रस्तुत आंकड़ों और सामग्री पर निर्भर करती है जो उसके निष्कर्षों का आधार बनते हैं।"

इसके अलावा, इस विषय पर, इस न्यायालय ने रमेश चंद्र अग्रवाल के मामले (सुप्रा) में निम्नानुसार कहा:

"19. न्यायाधीश या जूरी के रूप में कार्य करना विशेषज्ञ का क्षेत्र नहीं है। तितली बनाम में कहा गया है । अल्फ्रेड रॉबर्ट जोन्स का मानना है कि विशेषज्ञ का वास्तविक कार्य उन सभी सामग्रियों को अदालत के सामने रखना है, उन कारणों के साथ जो उसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि अदालत, हालांकि विशेषज्ञ नहीं है, अपना निर्णय स्वयं दे सके। उन सामग्रियों का अवलोकन।"

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम के फैसले के मद्देनजर। जय लाल और अन्य। (सुप्रा) दोनों गवाह पीडब्लू-27 और पीडब्लू-32 किसी व्यक्ति विशेषज्ञ पर विचार करने के लिए आवश्यक माने जाने वाले तीन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

14. विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष कानून की दृष्टि से प्रथम दृष्टया खराब है क्योंकि उपरोक्त कानूनी पहलुओं में से किसी की भी सावधानीपूर्वक जांच नहीं की गई है और निष्कर्ष के साथ सहमति व्यक्त करते हुए उत्तर दिया गया है। अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पर ट्रायल कोर्ट की। इसके अलावा उनका कहना है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों अर्थात् पीडब्लू-2, पीडब्लू-27, पीडब्लू-32 के साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच और विश्लेषण करने के बाद और गवाहों अर्थात् पीडब्लू-22 और पीडब्लू-24 के साक्ष्यों पर भी भरोसा किया जो पुलिस के गवाह हैं

और अधिनियम की धारा 3(1)(सी) के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराना और उसे सात साल की कैद की सजा देना एक गलत निष्कर्ष है और इसलिए इसे कायम रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह पदम बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत है। यूपी राज्य [(6)] विद्वान वकील ने प्रसाद @ हरि प्रसाद आचार्य बनाम के मामले में इस अदालत के एक अन्य फैसले पर भी भरोसा जताया। कर्नाटक राज्य [(7)] ।

उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी स्थिति के संदर्भ में विद्वान वकील का कहना है कि रिकॉर्ड पर सबूतों की उचित सराहना के बिना आरोप पर उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्य की समवर्ती खोज ने कानून में निष्कर्षों को गलत बना दिया है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करके कानूनी गलती की है। यह कानून में पूरी तरह से टिकाऊ नहीं है और इसलिए, इस अपील की अनुमति देकर इसे रद्द किया जा सकता है और अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 3(1)(सी) के तहत उसके खिलाफ लगाए गए आरोप से बरी किया जा सकता है।

15. दूसरी ओर, प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील ने यह उचित ठहराने की मांग की है कि तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को जानबूझकर अभियोजन मामले और अदालत द्वारा रिकॉर्ड पर कानूनी सबूतों को ध्यान में रखकर उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया है। PW-1, PW-11, PW-

16, PW-19, PW-20, PW-22, PW-24, PW-27 और PW-32 के साक्ष्य। उनका तर्क है कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप पर विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की सत्यता की जांच करने के बाद, उच्च न्यायालय ने तथ्यों के निष्कर्षों से सही सहमति जताई है जो आक्षेपित निर्णय में दर्ज किए गए हैं और यह राय थी कि अधिनियम की धारा 9 के साथ पठित धारा 3 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि अधिकतम 14 वर्ष की सजा है। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि कथित अपराध वर्ष 1990 का है, अपीलकर्ता को अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसकी सत्यता की जांच उच्च न्यायालय द्वारा की गई है और उसने राय दी है कि इस प्रकार के जघन्य अपराधों में, आरोपी को सात साल के कठोर कारावास की सजा देना कानूनी, वैध, उचित और उचित माना जाता है और इसलिए, ऐसा नहीं किया गया। उसी में हस्तक्षेप करें. उच्च न्यायालय ने अपने कारण बताते हुए ट्रायल कोर्ट के तथ्यों के निष्कर्षों से सही सहमति जताई है और इसलिए उन्हें कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए, खासकर जब वे जासूसी करते हुए और पूरे देश को खतरे में डालते हुए पकड़े गए हों। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा अन्य अपीलकर्ताओं के साथ अपीलकर्ता की अपील को खारिज करना कानूनन पूरी तरह से उचित है। इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्होंने इसे खारिज करने की प्रार्थना की है।

16. पार्टियों की ओर से आग्रह की गई उपरोक्त उल्लिखित प्रतिद्वंद्वी कानूनी दलीलों के संदर्भ में, हमने 1992 के केस नंबर 196 में विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले में दर्ज निष्कर्षों की शुद्धता और दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों की सावधानीपूर्वक जांच की है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। यह पता लगाने की दृष्टि से कि क्या उक्त समवर्ती निष्कर्ष गलत हैं या कानून में त्रुटि है, हमने पीडब्लू-12, पीडब्लू-13, पीडब्लू-14, पीडब्लू-15 और पीडब्लू-17 के साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है जिन्होंने इसके खिलाफ गवाही दी है। अपीलकर्ता को उपरोक्त बिंदु का उत्तर देना होगा जो हमारे विचार के लिए उठा है।

17. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने शेर सिंह, पीडब्लू-18 के साक्ष्य पर भरोसा किया है, जो एक खोजी गवाह है, जिसने अपीलकर्ता के घर की तलाशी देखी है और जो मुकर भी गया है। पीडब्लू-21, डॉ. टीएस कपूर ने कहा है कि उन्हें इस मामले से संबंधित दस्तावेज सीआईडी सुरक्षा से प्राप्त हुए हैं और मूल प्रति पूर्व है। पी-36. पत्र सहित विवादित दस्तावेजों को Exbts के रूप में चिह्नित किया गया है। प्रश्न-1 से प्रश्न-9 तक। नमूना लेखन को A- 1 से A-52 के रूप में चिह्नित किया गया है जिसे Ex.P-44 से P-82 के रूप में प्रदर्शित किया गया है जिसकी वैज्ञानिक रूप से जांच की गई है और उसके बाद एक रिपोर्ट Ex. पी-83 को यह कहते हुए तैयार किया गया था कि क्यू-1 से क्यू-4 और क्यू-9 के रूप में चिह्नित विवादित

लेख ए-1 से ए-52 के रूप में चिह्नित नमूना लेखों के साथ बहुत महत्वपूर्ण समानताएं दिखाते हैं।

इसके साथ ही सफी मोहम्मद के घर से एक लिखित पर्ची, आर्टिकल 2 - हाथ से ट्रेस किया गया एक नक्शा बरामद हुआ . छोटू खान के पास से रेलवे ट्रैक और सड़कों का चित्रण, लाइनों वाले कागज पर दिखाए गए दिशा-निर्देश, वायु सेना, हिंदी सैनिक समाचार पत्र और आर्मी वीकली का विज्ञापन, पर्वतीय संगठन प्रभाग का निषिद्ध चार्ट बरामद किया गया और राय के लिए भेजा गया। कि क्या उक्त दस्तावेज और उसमें मौजूद जानकारी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है या नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि उपरोक्त दस्तावेजों से संबंधित अंग्रेजी एक्स पी-33 में एक पत्र आईएएफ कमांडेंट जोधपुर के मुख्यालय को भेजा गया था। Ex.P-33 पर हस्ताक्षर हैं, जिसका उत्तर Ex.P-34 है।

18. पीडब्लू-24 याद राम तिवारी, जो कि SHO, स्पेशल पुलिस स्टेशन, राजस्थान , जयपुर के पद पर तैनात थे, ने कांस्टेबल नवनीत कुमार के माध्यम से SP CID जोन जोधपुर से रिपोर्ट प्राप्त होने की बात कही है और जिसके आधार पर उन्होंने FIR दर्ज की है। अधिनियम की धारा 3,5 और 9 और आईपीसी की धारा 120-बी के तहत क्रमांक 1/90। रिपोर्ट, Ex.P-1 के साथ कुछ अन्य गुप्त दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति ज्ञापन के माध्यम से बरामद किए गए थे। उन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि उन्होंने सफी मोहम्मद के घर की तलाशी ली . जेठा चानाना रेलवे क्वार्टर

में जहां अपीलकर्ता की अलमारी से एक नीले रंग की डायरी बरामद की गई थी, जिस पर अनुच्छेद 3 अंकित था। डायरी से एक नक्शा भी बरामद किया गया था, जिसमें पोखरण, जैसलमेर, देवरा गांव, सड़कों और रेलवे ट्रैक का विवरण दिया गया था। मानचित्र को पूर्व के रूप में चिह्नित किया गया है। डी-3. उन्होंने अपीलकर्ता सफी मोहम्मद की पहचान की है । खोज पुनर्प्राप्ति मेमो को Ex.P-28 के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने डायरी के पेज 11, 13 और 21 पर उल्लिखित पाकिस्तानी अधिकारियों के पते के बारे में भी बात की है। उक्त गवाह ने अपीलकर्ता के घर की तलाशी के बारे में भी बात की है, जो खुर्शीद और शेर सिंह की उपस्थिति में की गई थी। और सामान जब्त कर लिया गया जैसे (ए) सफी मोहम्मद का पासपोर्ट । अनुच्छेद 4 के रूप में, (बी) अनुच्छेद 5 के रूप में नाज़िमा बानो का पासपोर्ट, (सी) सफी मोहम्मद का विवाह कार्ड । अनुच्छेद 6 के रूप में, (डी) सफी मोहम्मद की पासबुक । अनुच्छेद 7 के रूप में, और (ई) कार्ड शादी मुबारक अनुच्छेद 8, खोज मेमो के माध्यम से पूर्व के रूप में चिह्नित। पी-28.

19. बयान में कर्नल एसके सरेन पीडब्लू-27 ने कहा है कि एक्स.पी-3 मूल मानचित्र के साथ, एक्स.पी-35 में संदर्भित पत्र और एक्स.पी-4, एक्स.पी-5, एक्स की फोटोकॉपी .डी-3, उदा. पी-32, पी-31, पी-27 प्राप्त किए गए और उपरोक्त दस्तावेजों के संदर्भ में उनकी राय मांगी गई कि क्या उक्त दस्तावेजों में उल्लिखित जानकारी यदि पाकिस्तानी अधिकारियों

तक पहुंचती है, तो उनके लिए उपयोगी होगी और प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। भारत की सुरक्षा. उन्होंने अपने बयान में सकारात्मक रूप से कहा है कि यदि उपरोक्त दस्तावेज पाकिस्तानी अधिकारियों तक पहुंच जाते हैं तो यह उनके लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि वे भारत पर हमला करने की रणनीति तैयार कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उक्त दस्तावेजों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर अगर पाकिस्तान हवाई हमले से देश को तबाह करना चाहता है तो यह आसान हो जाएगा। गवाह पीडब्लू-32 विंग कमांडर आलोक कुमार ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि वह इंटेलिजेंस ऑफिसर मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी वायु कमान, भारतीय वायु सेना, जोधपुर के रूप में तैनात थे। उन्होंने अपनी राय देते हुए कहा कि Ex.D-3 छह अंकों का स्केच किसी लक्ष्य को इंगित करने की सटीकता को दर्शाता है जो बहुत महत्वपूर्ण और सटीक है जिसके आधार पर देश की सुरक्षा को नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने एक्स डी-3 में लाल तीर के बारे में बात की है जो विशेष बिंदु का ग्रिड संदर्भ है। उनके अनुसार उक्त दस्तावेज सेना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है.

20. पीडब्लू-22 और पीडब्लू-24 के साक्ष्यों के संदर्भ में अपीलकर्ता के घर की तलाशी और डायरी विशेष रूप से एक्स डी-3, कुछ चिह्नों के साथ तैयार हस्तलिखित मानचित्र के साथ कुछ दस्तावेजों की जब्ती से अभियोजन साबित हुआ है। मामला। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वतंत्र गवाह मुकर गए हैं, लेकिन विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पुलिस गवाहों की

गवाही को उनके सबूतों की उचित सराहना के बाद सही ढंग से स्वीकार किया है और उन्होंने घर से दस्तावेजों की जब्ती को साबित करने के लिए पुलिस गवाहों पर भरोसा किया है। अपीलकर्ता और इसलिए इसे कानून में बुरा नहीं माना जा सकता जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है।

21. इसके अलावा, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने कारण बताकर दस्तावेजों की बरामदगी को साबित करने के लिए गवाहों की गवाही को सही ढंग से स्वीकार किया है और इसलिए इसे केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वे पुलिस अधिकारी हैं जो छापेमारी दल के सदस्य हैं और सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत मामले बहुत संवेदनशील होते हैं जिन पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इन परिस्थितियों में, जांच दोषपूर्ण नहीं हो जाती है जैसा कि बचाव पक्ष के विद्वान वकील ने तर्क दिया था क्योंकि तलाशी वारंट प्राप्त नहीं किया गया था और अपीलकर्ता के घर से दस्तावेजों और लेखों की बरामदगी को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए अपीलकर्ता के घर से सेना के दस्तावेजों की तलाशी और जब्ती बहुत संवेदनशील है और देश की अखंडता और सुरक्षा से संबंधित है। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, न तो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में की गई तलाशी और न ही जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच अपीलकर्ता के घर में तलाशी लेने के लिए सर्च

वारंट के अभाव में दोषपूर्ण हो जाती है, जैसा कि अपीलकर्ता के वकील ने आग्रह किया था।

22. विद्वान लोक अभियोजक ने समा अलाना अब्दुल्ला बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर सही भरोसा जताया है। गुजरात राज्य [(8)] । उक्त निर्णय में यह अदालत कानूनी सिद्धांत बताती है कि केवल इसलिए कि पुलिस गवाहों ने अपीलकर्ता की हिरासत से तलाशी और दस्तावेजों की जब्ती के बारे में बात की है, उनके कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्वतंत्र गवाहों ने तलाशी और तलाशी का समर्थन नहीं किया है। दस्तावेजों की जब्ती. उपरोक्त संदर्भित मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को मामले के तथ्यों पर लागू किया जाता है ताकि अपीलकर्ता के घर से दस्तावेजों की खोज और जब्ती के सबूत को स्वीकार किया जा सके जो अखंडता और सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील हैं। राष्ट्र। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा निकाले गए उक्त निष्कर्ष और उच्च न्यायालय द्वारा उस पर सहमति को कानून की दृष्टि से गलत नहीं कहा जा सकता है जैसा कि अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वकील ने तर्क दिया है। इसलिए, देश की अखंडता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले दस्तावेजों की खोज और जब्ती के संबंध में नीचे की दोनों अदालतों द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष रिकॉर्ड पर साक्ष्य की उचित सराहना और मूल्यांकन के बाद उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से दर्ज किए गए तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष है। इस न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग

करते हुए इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। भले ही जांच अधिकारी द्वारा तलाशी अवैध तरीके से की गई हो, लेकिन इससे कानून के मद्देनजर अपीलकर्ता के घर से दस्तावेजों की जब्ती के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा की गई खोज और जांच की वैधता प्रभावित नहीं होगी। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित। मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि राष्ट्र के लिए रणनीतिक महत्व के दस्तावेज अपीलकर्ता और अन्य आरोपियों के कब्जे से बरामद किए गए हैं और वे दस्तावेजों के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे हैं। उनका कब्ज़ा.

23. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता की ओर से दिए गए तर्कों पर अविश्वास किया है कि पूर्व। अभियुक्त मोहम्मद के कब्जे से डी-3 बरामद किया गया । इश्फाक, जैसा कि अभियोजन पक्ष के गवाह ओम प्रकाश पीडब्लू-2, गेस्ट हाउस के मालिक ने कहा था। सफी मोहम्मद के घर से उक्त दस्तावेज की बरामदगी . अभियोजन द्वारा तथ्य का निष्कर्ष साबित किया गया है जिसे रिकवरी मेमो Ex.P-28 के आधार पर उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। मेमो को साबित करने के लिए स्वतंत्र गवाह एक ओम प्रकाश राठी पीडब्लू-2 है, इसके अलावा, उक्त गवाह, राम दास राठी पीडब्लू-5 का साक्ष्य है जिसने अपने साक्ष्य में कहा है कि पूर्व। डी-3 को सफी मोहम्मद के रेलवे क्वार्टर से बरामद किया गया । यहाँ अपीलकर्ता.

24. ओम प्रकाश राठी पीडब्लू-2 ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने ए से बी तक अपने हस्ताक्षर करने से पहले मेमो एक्स.पी-22 को पढ़ा था। एक्स का उल्लेख न करना। डी-3 ने उनके सबूतों को झुठलाया कि डी-3 को गेस्ट हाउस से मोहम्मद इशफाक के पास से बरामद किया गया था। पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 अन्य वसूली गवाहों ने अपने साक्ष्य में निश्चितता के साथ यह नहीं कहा है कि एक्स डी-3 मोहम्मद के कब्जे से बरामद किया गया था । इशफाक अपने बैग से. इसके अलावा, उन्होंने Ex.D-3 रिकवरी मेमो का उल्लेख करते हुए दस्तावेज़ की बरामदगी के बारे में बात की है, जो उनकी उपस्थिति में तैयार किया गया था और पुलिस ने रिकवरी दस्तावेजों को सील कर दिया था। उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य के उपरोक्त बयान के मद्देनजर पीडब्लू-2 के साक्ष्य, यह तर्क कि एक्स.डी-3 नक्शा मोहम्मद के कब्जे से बरामद किया गया था । इश्फाक को विद्वान सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने सही ढंग से खारिज कर दिया था। उक्त निष्कर्षों के अलावा, अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू-7 परिहारी रेलवे स्टेशन के एएसएम ने कहा है कि एएसएम सफी मोहम्मद का घर । जेठा चानाना में नहीं है. उन्हें एक रेलवे क्वार्टर और एएसएम सफी मोहम्मद आवंटित किया गया था । 1989 में अपने परिवार के साथ इस घर में आये थे। उक्त तिमाही में जांच अधिकारी द्वारा तलाशी ली गई थी और अपीलकर्ता के कब्जे से Ex.D-3 सहित कुछ दस्तावेज जब्त किए गए थे, जो कि ट्रायल जज द्वारा दर्ज तथ्य की खोज है। अपीलकर्ता द्वारा

दायर अपील में रिकॉर्ड पर साक्ष्य की पुनः सराहना के बाद उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से सहमति व्यक्त की गई है।

25. आक्षेपित निर्णय में विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पीडब्लू-27 और पीडब्लू-32 के साक्ष्य का उल्लेख किया है और राय दी है कि दस्तावेज़ विशेष रूप से पूर्व। अपीलकर्ता के कब्जे से जब्त डी-3 को उनकी राय के लिए भेजा जाए कि क्या उक्त दस्तावेज पाकिस्तानी अधिकारियों तक पहुंचने पर राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरनाक होगा। दस्तावेज़ पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उन्होंने उक्त दस्तावेज़ में उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह राय दी है कि यदि पाकिस्तानी अधिकारी हवाई हमले द्वारा देश को नष्ट करना चाहते हैं तो यह आसान हो जाएगा।

26. विद्वान सत्र न्यायाधीश ट्रायल जज होने के नाते सबूतों की सराहना करने में सक्षम हैं और उन्हें उन गवाहों के आचरण का निरीक्षण करने का अवसर मिला है, जिन्होंने अभियोजन मामले को साबित करने के लिए उनके सामने गवाही दी है। केवल इसलिए कि स्वतंत्र गवाह मुकर गए हैं, अन्य पुलिस गवाहों के साक्ष्य पर नीचे की अदालतों द्वारा आरोप पर निष्कर्ष दर्ज करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है जैसा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा इस अदालत के फैसले पर भरोसा करके किया गया है। सुप्रा, वह अपीलकर्ता के घर की तलाशी और दस्तावेजों की जब्ती के संबंध में पुलिस

गवाहों पीडब्लू-21, पीडब्लू-22 के साक्ष्य को स्वीकार करके सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और इस आशय का निष्कर्ष बताते हुए दर्ज किया है। उनके फैसले में वैध और ठोस कारण थे। वह पीडब्लू-27 और पीडब्लू-32 के साक्ष्यों के आधार पर आरोप पर निष्कर्ष दर्ज करते समय इस तथ्य पर सही निष्कर्ष पर पहुंचे थे, जिन्होंने राय दी थी कि यदि उक्त दस्तावेज और उसमें मौजूद जानकारी पाकिस्तानी अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा।

27. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वकील द्वारा आग्रह किया गया कि पीडब्लू -27 और पीडब्लू -32 साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के संदर्भ में विशेषज्ञ गवाह नहीं हैं, इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए गलत हैं- रखा गया है और वे बचाव के मामले का समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने नेत्र साक्ष्य और लिखित प्रस्तुति की सावधानीपूर्वक जांच के बाद अपीलकर्ता से जब्त किए गए उक्त दस्तावेज़ के बारे में सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ तय किए गए आरोप पर अपने फैसले में दर्ज किए गए उक्त निष्कर्ष और कारणों की उच्च न्यायालय द्वारा सचेत रूप से अपने दिमाग का उपयोग करके फिर से जांच की गई है और वैध कारणों को बताते हुए तथ्य के उक्त निष्कर्ष के साथ सहमति व्यक्त की गई है। इसलिए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा आग्रह किए गए आधारों पर इसे कानून में गलत नहीं कहा जा सकता है और इस न्यायालय द्वारा अपने अधिकार

क्षेत्र के प्रयोग में इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय पर भरोसा करके हस्तक्षेप किया जा सकता है क्योंकि वे गलत तरीके से रखे गए हैं। और अपीलकर्ता के मामले का समर्थन नहीं करते हैं।

28. हमारे विचार में विद्वान सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों, बचाव पक्ष की ओर से दिए गए तर्कों पर विचार करने के बाद, रिकॉर्ड पर सबूतों की उचित सराहना और पुनः सराहना करते हुए सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की ओर से दी गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और कारणों सहित आरोप पर अपने निष्कर्ष दर्ज किए हैं।

29. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि अधिनियम की धारा 3, 9 और 5 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह आक्षेपित निर्णय में हमारे हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। अन्य अभियुक्तों के साथ दोषी पाया गया और उन्हें सही दोषी ठहराया गया और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अपील में कोई दम नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

बी.बी.बी.

अपील ख़ारिज की गई।

(1) 2005 (13) एससीसी 624

(2) 2005 (5) एससीसी 258 पैरा 29-30

(3) (2005) 5 एससीसी 272 पैरा 9

(4) (1999) 7 एससीसी 280

(5) (2009) 9 एससीसी 709

(6) 2000 (1) एससीसी 621

(7) 2009 (3) एससीसी 174

(8) एआईआर 1996 एससी 569

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी श्री विशाल भार्गव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****